



# महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय

Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)

(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

डॉ. शंभू जोशी /Dr. Shambhu Joshi

एसोसिएट प्रोफेसर एवं लोक सूचना अधिकारी

Associate Professor & Public Information Officer

27/2021-22/1976/12584

दिनांक : 06/12/2021

महादेय/महोदया,

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत दिनांक 12.11.2021 का आवेदन कार्यालय में दिनांक 15.11.2021 को प्राप्त हुआ है। इस संदर्भ में संबंधित इकाईयों से प्राप्त सूचना के अनुसार वांछित जानकारी निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	मांगी गई सूचना	प्रदान की गई सूचना
01	IN DISTANCE EDUCATION MAHATMA GANDHI ANTARRASHTRIYA HINDI VISHWAVIDYALAYA UNIVERSITY HAS NOT APPROVAL OF MBA COURSE IN 2021. THIS UNIVERSITY MBA COURSE NAME IS NOT MENTIONED IN DISTANCE EDUCATION BUREAU LIST IN 2021. KINDLY I WANT TO KNOW WHY IS THIS UNIVERSITY PROVIDING MBA COURSE IN DISTANCE EDUCATION MODE IN NOVEMBER 2021.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा F.No. 40-16/2021 (ODL) (DEB-II). दिनांक 08 नवंबर 2021 के माध्यम से जारी आदेशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की गई है। अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC)-DEB से संपर्क कर सकते हैं।

अगर आप प्रदत्त सूचना के संदर्भ में अपील करना चाहते हैं तो अपीलीय अधिकारी को इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर नीचे दिए गए पते पर अपील कर सकते हैं -

प्रथम अपीलीय अधिकारी

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,

पोस्ट - हिंदी विश्वविद्यालय, गांधी हिल्स, वर्धा-442001, महाराष्ट्र

फोन नं. 07152-230902, फैक्स - 07152-247602

भवदीय  
#Shambhu  
(शंभू जोशी)  
06/12/2021